

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-116/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-677/2011/भीलवाड़ा)
2. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-117/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-678/2011/भीलवाड़ा)
3. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-118/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-679/2011/भीलवाड़ा)
4. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-119/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-680/2011/भीलवाड़ा)
5. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-120/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-681/2011/भीलवाड़ा)
6. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-121/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-682/2011/भीलवाड़ा)
7. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-122/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-683/2011/भीलवाड़ा)
8. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-123/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-684/2011/भीलवाड़ा)
9. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-124/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-685/2011/भीलवाड़ा)
10. संशोधन प्रार्थना-पत्र सं.-125/17/भीलवाड़ा.
(सम्बन्धित अपील संख्या-686/2011/भीलवाड़ा)

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भीलवाड़ा.

बनाम

मैसर्स फैशन सूटिंग्स प्रा० लिमिटेड, भीलवाड़ा.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री के. एल. जैन, सदस्य

.....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

.....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/04/2018

निर्णय

1. ये सभी 10 संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स फैशन सूटिंग्स प्रा० लिमिटेड, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या क्रमशः 116/2017 से 125/2017/भीलवाड़ा में पारित किये गये संयुक्त निर्णय दिनांक 19.07.2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। इन सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2. कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 19.7.2017 में प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार थे कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा एक स्कीम के तहत अपने सदस्यों से रुपये 300/- से 3065/- तक की राशि प्राप्त कर उन्हें पेन्ट-शर्ट पीस एवं बैग का विक्रय किया गया था। व्यवहारी द्वारा उक्त बैग घोषणा पत्र 'सी' के समर्थन से राज्य के बाहर से आयात किये जाकर उन्हें करमुक्त माल का पैकिंग मैटेरियल बताते हुए पूरे माल का करमुक्त विक्रय किया जाना दर्शाया गया था, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन 'बैग' को पैकिंग मैटेरियल के रूप में विक्रय न मानकर इसकी बैग के रूप में पृथक से बिक्री मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी थी जिनके

लगातार.....2

विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में कर बोर्ड द्वारा दिनांक 19.7.2017 को विस्तृत विवेचन के साथ आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की गयी थी। कर बोर्ड के उक्त आदेश में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थी व्यवहारी द्वारा ये संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त बैग में केवल 10 मीटर कपड़ा ही आ सकता है तथा व्यवहारी द्वारा पैकिंग मैटेरियल के रूप में ही उक्त बैग अपने ग्राहकों को प्रदान किया गया है, जिसका कोई मूल्य वसूल नहीं किया गया है। अतः कर बोर्ड के आदेशों को संशोधित कर, कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया जावे।

3. बहस के दौरान प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपील के समय किये गये कथनों को दोहराते हुए राजस्थान कर बोर्ड के सन्दर्भित निर्णय दिनांक 19.7.2017 को संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा अपने ग्राहकों को दिया गया बैग, अन्य कार्यों में भी बैग के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि पैकिंग मैटेरियल का इस्तेमाल केवल एक वस्तुविशेष की पैकिंग के लिये ही किया जा सकता है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि सचेतन मस्तिष्क से पारित निर्णय को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। उक्त धारा के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही संशोधनीय है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] का हवाला देते हुए प्रार्थी के संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने पर जोर दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।


6. इन प्रकरणों में माननीय खण्डपीठ द्वारा दिनांक 19.7.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपीलें स्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि की गयी हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त निर्णय में प्रकरण के तथ्यों एवं व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह अवधारित किया गया है कि व्यवहारी द्वारा अपने ग्राहकों को दिया गया बैग

पैकिंग मैटेरियल की परिभाषा में शुमार नहीं होकर, एक बैग के रूप में उपयोगी वस्तु है, जिसका उपयोग यात्रा के दौरान अपना सामान लाने ले जाने में किया जा सकता है तथा सामान्य विवेक से भी उक्त वस्तु पैकिंग मैटेरियल ना होकर एक बैग ही माना जा सकता है। कर बोर्ड के उक्त निर्णय में प्रत्येक बिन्दु पर विचार कर आदेश पारित किया गया है एवं प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने वेट अधिनियम की धारा 33 में संशोधन प्रार्थना-पत्र के जरिये उन्हीं तथ्यों पर पुनः 'Review' करने का आवेदन किया है जबकि वेट अधिनियम एवं विक्रय कर अधिनियम में केवल लिपिकीय त्रुटि को संशोधन करने के ही प्रावधान दिये हुए हैं। राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा ही इस तरह पारित आदेश को संशोधित करने को अविधिक मानते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

इस प्रकार एक पूर्ण विवेचित निर्णय को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पुनः विवेचित किया जाना अनुज्ञेय नहीं है।





लगातार.....4

—: 4 :- परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-116/2017 से 125/2017/भीलवाड़ा.

7. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2017 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त संशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष